राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 849/2016
माणक लाल कुमावत

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव (वित्त), वित्त, सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड़, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.11.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 17.11.1973 को सहायक मत्स्य अधिकारी के पद पर हुई थी। उनका कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 01.09.2006 को 30 वर्षीय एसीपी का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था, जो लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 01.09.2006 को जब अपीलार्थी एसीपी के लाभ के लिए अधिकारी था, तब अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आरोप नहीं था, न ही कोई विभागीय जांच कार्यवाही थी। अपीलार्थी को बाद में दिनांक 23.01.2008 को कार्मिक विभाग द्वारा चार्जशीट दी गई। अपीलार्थी दिनांक 31.01.2008 को सेवानिवृत्त हो चुका है। इसके पश्चात आदेश दिनांक 27.08.2011 विभागीय जांच का निर्णय हुआ, जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध आंशिक रूप से आरोप प्रमाणित मानते हुए अपीलार्थी को देय पेंशन लाभ से 5 प्रतिशत राशि एक वर्ष के लिए रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को आरोप पत्र दिनांक 23.01.2008 को दिया गया, जबकि अपीलार्थी उससे पूर्व ही एसीपी का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो गया था। इस आधार पर एसीपी के लाभ को नहीं रोका जा सकता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र

जारी किया गया था। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को देय पेंशन परिलाभों में से 5 प्रतिशत राशि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है, ऐसे में अपीलार्थी के एसीपी के लाभ को नहीं रोका जा सकता है और अपीलार्थी को दौहरा दण्ड नहीं दिया जा सकता है।

2. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी ने अपील के साथ राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा दी गई टिप्पणी सलंग्न की है, जिसमें यह माना गया है कि अपीलार्थी एसीपी का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसके विरूद्ध विभागीय जांच लंबित थी। हमने इस टिप्पणी पर विचार किया। हमारे मत में वित्त विभाग द्वारा दी गई टिप्पणी उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी 30 वर्षीय एसीपी का लाभ दिनांक 01.09.2006 से ही प्राप्त करने का अधिकारी हो गया था और अपीलार्थी के विरूद्ध उस दिनांक को कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं थी। विभागीय जांच का ज्ञापन दिनांक 23.01.2008 को दिया गया, जो कि एसीपी का लाभ प्राप्त होने वाली दिनांक के बाद दिया गया। ऐसे में अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करने से पूर्व में उसे प्राप्त होने वाले एसीपी के लाभ से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है।

3. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को दिनांक 01.09.2006 को देय 30 वर्षीय एसीपी का लाभ प्रदान किया जाये एवं समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किया जावे। अपीलार्थी को एरियर की राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज भी प्रदान किया जाये। इस आदेश की पालना 3 माह में सुनिश्चित की जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)